अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह संबंधित प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करने के लिए निर्देश दे सकता है या उचित आदेश दे सकता है। यदि आप पत्र लिखकर अपनी शिकायतों को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को भेजते हैं और न्यायालय यह समझता है कि आपकी शिकायतों पर ध्यान दिया जा सकता है तो वह पत्र को रिट याचिका के रूप में भी ले सकता है।

- आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। यदि एस.पी. आपकी शिकायत से संतुष्ट होता है तो वह या तो मामले की स्वयं जांच करेगें या जांच करने का आदेश दे सकते हैं।
- आप क्षेत्राधिकार वाले अदालत में मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- यदि पुलिस कानून लागू नहीं करती अथवा इसे पक्षपातपूर्ण या भ्रष्ट तरीके से लागू करती है तो आप राज्य मानवाधिकार आयोग अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

महिलाओं के विशेष अधिकार

पुलिस महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने नहीं ले जा सकती क्योंकि महिलाओं से पूछताछ सिर्फ उनके घर पर तथा उनके परिवार की उपस्थिति में ही की जा सकती है।

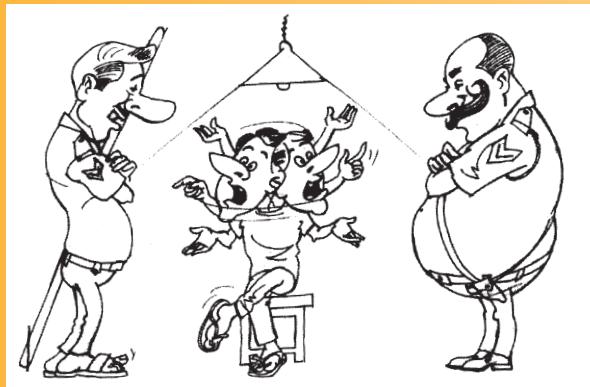

पूछताछ के दौरान कमी बढ़ा–चढ़ा कर न बोलें।

सी.एच.आर.आई. के संबंध में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य कॉमनवेल्थ देशों में मानव अधिकारों को व्यवाहारिक रूप से हासिल करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानव अधिकार मानदंडों के अधिक से अधिक अनुपालन की वकालत करता है।

वर्तमान में, हम निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं:

- पुलिस सुधार
- कारागार सुधार
- सूचना का अधिकार
- नीतिगत पहल संबंधी कार्यक्रम
- कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिटींग (सी.एच.ओ.जी.एम.) की रिपोर्ट

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, दूसरा तल,
सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली 110017, भारत
फोन : +91-011-43180200, 43180225-299
फैक्स : +91-011-26864688
ई.मेल: info@humanrightinitiative.org
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

पुलिस और आप

पुलिस और आप

अपने अधिकार जानिए

कॉमनवेल्थ
ह्यूमन
राइट्स
इनिशिएटिव

पूछताछ, पुलिस जांच का एक काफी महत्वपूर्ण भाग है। पुलिस घटना या अपराध के बारे में प्रश्न पूछकर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करती है।
आपका यह कर्त्तव्य है कि आप अभियुक्त और घटना के बारे में ठीक–ठीक जानकारी दें।

पुलिस अधिकारी को पूछताछ के दौरान बल प्रयोग के लिए दंडित किया जा सकता है।

पूछताछ के दौरान आपके अधिकार निम्नलिखित हैं:

- पुलिस, आपको ऐसा कोई बयान देने के लिए दबाव नहीं दे सकती जिसे आपके विरूद्ध सबूत के रूप में उपयोग किया जा सके।
- यदि आपकी आयु 15 वर्ष या उससे कम है तो पुलिस आपसे पूछताछ आपके घर पर ही करेगी पुलिस थाने में नहीं। पुलिस को आपसे पूछताछ आपके परिवार की उपस्थिति में ही करनी चाहिए।

(धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- यदि पुलिस पूछताछ के दौरान आपके साथ मार पीट करती है या आपको गंभीर रूप से जख्मी करती है तो वह पुलिस अधिकारी कानून के तहत सजा का भागीदार होता है।

(धारा 330 और 331 भारतीय दंड संहिता 1860)

- आपको ऐसा कोई बयान या पुलिस के ऐसे किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए जो यह सिद्ध करे कि आप उस अपराध के दोषी हैं या जिसके लिए आपको जुर्माना लगाया जा सकता है।

(धारा 161(1) दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- यह जरूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे बयान पर हस्ताक्षर करें जो आपने पूछताछ के दौरान दिया हो।

(धारा 162(1) दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- पुलिस आपको किसी ऐसे अपराध को स्वीकार करने के लिए धमकी नहीं दे सकती या मजबूर नहीं कर सकती जिसके आप अभियुक्त हैं।

(धारा 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और धारा 316 दंड प्रक्रिया संहिता 1973)

- पुलिस को दिए किसी भी बयान का आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि वह बयान मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न दिया गया हो।

(धारा 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872)

- यदि आप उस अपराध को जो आपने किया है, स्वीकार करना चाहते हैं तो ऐसा आपको मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में करना चाहिए। यह मैजिस्ट्रेट का कर्त्तव्य है कि वह अभियुक्त को बताए कि उसे किसी दबाव में किसी अपराध को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि अभियुक्त स्वयं ही अपराध को स्वीकार करता है तो, इस स्वीकृति को उसके विरूद्ध सबूत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यदि मैजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने बिना किसी दबाव के स्वयं ही स्वीकार किया है तो मैजिस्ट्रेट को इकबालिया बयान नहीं लिखना चाहिए।

यदि मैजिस्ट्रेट यह महसूस करते हैं कि अपराध दबाव में स्वीकार किया गया है तो इसे अस्वीकार किया जा सकता है

बातें जो आपको याद रखनी चाहिए:-

- जब आप पूछताछ के लिए थाने बुलाए जाते हैं तो आप अपने परिवार के सदस्य या दोस्त को साथ ले जाएं।
- पुलिस द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शांतिपूर्वक और तरतीब से जवाब दें।
- घटना जैसे–जैसे घटी उसका सही तथ्य पेश करें।
- तथ्यों को बढ़ा–चढ़ा कर नहीं बताएं।
- कभी भी धुमिल या अस्पश्ट बयान न दें।

पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा सकती है।

यदि पुलिस द्वारा पूछताछ के बारे में आपकी कोई शिकायत है तो आप निम्नलिखित काम कर सकते हैं:

- आप पुलिस शिकायत प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह एक विशेष निकाय है जो पुलिस के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों पर ध्यान देती है।
- आप पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) या किसी अन्य उच्च अधिकारी जैसे कि पुलिस उप–महानिरीक्षक (डी.आई.जी.) या पुलिस महा–निरीक्षक (आई.जी.) से मिल सकते हैं और उनके ध्यान में अपनी शिकायत ला सकते हैं।
- आप संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। यदि न्यायालय संतुष्ट होता है कि आपके मौलिक